# विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2017–18(01.06.2017 से 31.03.2018) तक के लिए घोषित आबकारी नीति के अर्न्तगत मदिरा दुकानों के तृतीय चरण के व्यवस्थापन हेतु जनपद अल्मोडा की निम्नांकित मदिरा दुकानों हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, सम्बन्धित दुकानों व उनके राजस्व का विवरण निम्नवत् है:–

| क्र0 सं0 | दुकान का नाम | दुकान का प्रकार | दिनांक 01.06.2017 से 31.03.2018 तक के लिए निर्धारित राजस्व | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लाइसेंस फीस | वार्षिक अधिभार | कुल राजस्व | धरोहर धनराशि |
| 1 | बाडेछीना | देशी/विदेशी मदिरा मिश्रित | 1356000 | 15594121 | 16950121 | 339003 |
| 2 | गनाई | विदेशी मदिरा | 2018000 | 23209550 | 25227550 | 504551 |
| 3 | सोमेश्वर | विदेशी मदिरा | 2181000 | 25086519 | 27267519 | 545351 |
| 4 | बसौली | देशी मदिरा | 843000 | 9695520 | 10538520 | 210771 |
| 5 | द्वाराहाट | देशी मदिरा | 1439000 | 16545320 | 17984320 | 359687 |
| 6 | गनाई | देशी मदिरा | 1007000 | 11584231 | 12591231 | 251825 |
| 7 | सोमेश्वर | देशी मदिरा | 2581000 | 29677314 | 32258314 | 645167 |

उपरोक्त मदिरा दुकानें को निर्धारित राजस्व पर संचालन के इच्छुक उत्तराखण्ड राज्य के निवासी आवेदकों से निर्धारित प्रारूप पर व्यक्तिगत पहचान पत्र, शपथ पत्र तथा धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ देशी/विदेशी मदिरा मिश्रित व विदेशी मदिरा दुकान हेतु रू0 25,000/– तथा देशी मदिरा दुकान हेतु रू0 22,000/– का बैंक ड्राफ्ट, जो जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोडा के पक्ष में देय हों, के साथ आवेदन आमंत्रित किये जाते है। पूर्ण राजस्व का आफ़र करने वाले आवेदक को प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर दुकानों के आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। यदि उक्त दुकानों हेतु पूर्ण राजस्व पर कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो उक्त दुकानों को दैनिक आधार पर संचालन हेतु इच्छुक आवेदको से भी आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में अन्य सूचनायें सूचना जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोडा/क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती हैं।

जिला आबकारी अधिकारी,
अल्मोडा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या 171 /पॉच–आब0/व्यवस्थापन/2017/दिनांक:जून 01 , 2017

प्रतिलिपि –

1. जिला अधिकारी, अल्मोडा को अवलोकनार्थ।
2. सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में उत्तराखण्ड संस्करण में न्यूनतम स्थान में दिनांक 02.06.2017 को ही प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में प्रकाशित कर बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. उप आबकारी आयुक्त, आई0टी0, मुख्यालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जन सामान्य के अवलोकनार्थ विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोडा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जन सामान्य के अवलोकनार्थ जनपद अल्मोडा की बेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. सूचना पट जिला कार्यालय अल्मोडा/सूचना पट समस्त तहसीलें जनपद अल्मोडा पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ।

1/6/17

जिला आबकारी अधिकारी,
अल्मोडा।